

30.7.24

पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित मूल  
पत्रावली में इस न्यायालय के आदेश दि. 22.9.21  
के विरुद्ध न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी  
महो. चित्तौड़गढ़ में अपील होने से मूल पत्रावली  
न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी महो.  
चित्तौड़गढ़ को प्रेषित कि गई है। मूल पत्रावली के  
अभाव में मूल पत्रावली फैसल शुमार होकर  
नम्बर से कम हो।

५५